न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :– 45/2026

01. बनवारी लाल पुत्र षिवपाल जाति मेघवाल निवासी मानकवास तहसील उदयपुरवाटी हाल चक 5 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर .

.....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । .....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–19.03.26

यह वादपपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि चक 4 केवाईडी मु0नं0 217/2 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 24.10 बीघा कमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त कृषि भूमि वादी के पिता षिवपाल पुत्र रामनाथ जति मेघवाल निवासी बामनवास तहसील उदयपुरवाटी जिला झूंझनू को चक 4 केवाईडी मु0नं0 217/2 में कुल 24.10 बीघा कमाण्ड आवंटन हुई थी। वादी के पिता की जाति मेघवाल थी जबकि आवंटन आदेष में वादी के पिता की जाति हरिजन दर्ज कर दी गई। वादी के पिता द्वारा अपनी जाति हरिजन से मेघवाल दर्ज करवाने के आवेदन कई बार किये गये लेकिन वादी के पिता की जाति हरिजन से मेघवाल दर्ज नहीं हो पाई। वादी व उसके सहिस्सेदारान के पिता एक अनपढ़ व्यक्ति होने के कारण व कानूनी दस्तावेजों का ज्ञान नहीं होने के कारण जाति की दुरूस्ती की पेचिदगीयों में नहीं पड़े। वादी के पिता द्वारा उक्त कृषि भूमि की समस्त किष्ते खजानाराज में जमा करवा दी गई। वादी व उसके सहिस्सेदारान के पिता षिवपाल की मृत्यु के बाद उक्त भूमि जरिये विरासतन वादी व उसके सहिस्सेदारान के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। लेकिन सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करते समय वादी व उसके सहिस्सेदारान की जाति कुचबन्द दर्ज कर दी गई। बाद विरासतन उक्त कृषि भूमि पर वादी व उसके सहिस्सेदारान की काबिज काष्त है। वादी व उसके सहिस्सेदारान के पिता की मृत्यु के बाद विरासतन नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु दस्तावेज दिये तो वादी को पता चला की वादी के पिता षिवपाल की जाति राजस्व रिकॉर्ड में मेघवाल की जगह हरिजन दर्ह है जो कि गलत है। लेकिन उसके बाद वादी व वादी के हरिजन दर्ज है जो कि गलत है। लेकिन उसके बाद वादी व वादी के सहिस्सेदारान ने अपने पिता की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का विरासतन नामान्तरण 293 दिनांक 21.01.2026 को अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया। बाद विरासतन नामान्तरण वादी ने उक्त कृषि भूमि की जमाबंदी की नकल निकलवाई तो वादी को पता चला की राजस्व रिकॉर्ड में उनकी जाति हरिजन से कुचबन्द दर्ज कर दी गई है जो कि गलत है। क्योंकि वादी के पिता की जाति राजस्व रिकॉर्ड में हरिजन दर्ज थी तथा विरासतन नामान्तरण दर्ज करते समय वादी व वादी के सहिस्सेदारान की जाति कुचबन्द दर्ज कर दी गई है। जबकि वादी व वादी के सहिस्सेदारान के पिता व हमारी सही जाति मेघवाल है। जिसको दुरूस्त करवाने का वादी विधिक अधिकारी है। वादी के पिता की जाति मेघवाल के स्थान पर हरिजन व वादी व वादी के सहिस्सेदारान की जाति मेघवाल के स्थान पर कुचबन्द अंकित हो गई है जो कि गलत जिसे वादी दुरूस्त करवाना चाहता है। गलत जाति अंकन होने के कारण वादी व वादी के सहिस्सेदारान को काफी परेषानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा वादी व वादी के सहिस्सेदारान को राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा मिलने वाली योजनाओं व सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। जिसके कारण वादी व सहिस्सेदारान को अपूर्णनीय क्षति हो रही है। जिसका आंकलन रूपयों–पैसों में नहीं किया जा सकता है। इसलिए वादी उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में जाति कुचबन्द के स्थान पर मेघवाल दुरूस्त करवाने का विधिक अधिकारी है। अतः घोषणात्मक वादपत्र प्रस्तुत कर वादी का वादपत्र स्वीकार कर तहसीलदार खाजूवाला के चक 4 केवाईडी मु0नं0 217/2 में 24.10 बीघा कमाण्ड भूमि जो कि वादी के पिता को आवंटनषुदा है, उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता षिवपाल की जाति हरिजन दर्ज थी लेकिन विरासतन नामान्तरण दर्ज करते समय वादी व वादी के सहिस्सेदारान की जाति कुचबंद दर्ज कर दी गई। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादी व वादी के सहिस्सेदारान की जाति कुचबंद दर्ज की जगह जाति मेघवाल दर्ज किये जाने की घोषणा करने के आदेष फरमाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में खातेदारी सनद, मूलनिवास, जाति प्रमाणपत्र, नामान्तरण, जमाबंदी, आधारकार्ड, पहचानपत्र इत्यादि प्रस्तुत की व सहमति पत्र बजरंगलाल (वादी का सहिस्सेदार भाई) प्रस्तुत किया जिसके अनुसार जिसके अनुसार बनवारीलाल मेरा भाई है व जाति दुरूस्ती हेतु वाद दायर करने की पूर्ण व स्वतन्त्र सहमति प्रदान करता हूं। मेरा भाई बनवारीलाल न्यायालय आदेष से रिकॉर्ड में जाति मेघवाल दर्ज करवाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ग्राम पंचायत 5 केवाईडी की तस्दीक प्रस्तुत की जिसके अनुसार बनवारीलाल पुत्र षिवपाल जाति मेघवाल निवासी 5 केवाईडी तहः खाजूवाला का मूल निवासी है और प्रार्थी बनवारीलाल जाति मेघवाल के नाम से चक 5 केवाईडी खाजूवाला में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है बनवारीलाल मेघवाल एक ही व्यक्ति है। इनको व्यक्तिगत रूप से जानती व पहचानजी हूं। पत्रावली पर सुना गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 4 केवाईडी मु0नं0 217/2 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 24.10 बीघा कमाण्ड भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी व सहिस्सेदारों की जाति कुचबंद की जगह मेघवाल संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच जाति कुचबंद नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का जाति कुचबंद नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए जाति कुचबंद ही लागू होगा। अगर जाति संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 19.03.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)